रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

Y 063517

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: भूमि
2.	महाल	: बिजनौर
3.	ग्राम	: [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण	: भूमि खसरा संख्या-295, 322
	सम्पत्ति सं0	

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.1215 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	: सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
9.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
10.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: कुछ भी नहीं
11.	प्रतिफल की धनराशि	: रू० 5,00,000/-
12.	मालियत	: रू० 2,73,375/-
13.	स्टाम्प	: रू० 35,000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 MAY 2014

-3-

चौहद्दी

खसरा नं0–295

पूरब : खसरा संख्या–1163

पश्चिम : खसरा संख्या–294

उत्तर : खसरा संख्या–283

दक्षिण : खसरा संख्या–297

खाता नं0–122

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

063532

प्रथम पक्ष की संख्या–01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
श्रीमती कलावती पत्नी कुँवर, निवासिनी–4/323, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा मुख्तार आम कृष्ण कुमार पुत्र कुँवर, निवासी–4/323, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	राम सजीवन पुत्र मैकू, निवासी– ग्राम–पूरे मिठ्ठी कलोंदी, मुस्तफाबाद, जिला–रायबरेली।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती जयश्री पत्नी कुँवर, निवासिनी–4/328, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा मुख्तार आम कृष्ण कुमार पुत्र कुँवर, निवासी–4/328, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, जो मुख्तारनामा आम उपनिबन्धक कार्यालय लखनऊ में बही संख्या–4, जिल्द संख्या–204 के पृष्ठ संख्या–327 से 336 पर क्रमांक 21 पर दिनांक 10.01.2011 पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 5 -

पंजीकृत है, जो कि आज तक निरस्त नहीं की गई है अतः यह विधिमान्य है, जिसे आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम

राम सजीवन पुत्र मोंदू, निवासी– ग्राम–पुरे मिश्री, कालौनी, गुरुबक्सगंज, जिला–रायबरेली जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या–295 रकबा 0.2260 हेक्टेयर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.113 हेक्टेयर व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

खसरा संख्या–322 रकबा 0.0510 हैक्टेयर का 1/6 भाग यानि 0.0085 हैक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.1275 हैक्टेयर, स्थित–ग्राम–[illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व दाखिल है। उक्त आराजी विक्रेता को पुश्तैनी जायदाद है, जो विक्रेता को [illegible] प्राप्त हुई है तथा [illegible] सत्यापित [illegible] खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता खतौनी [illegible] संख्या–[illegible], [illegible] के अनुसार विक्रेता का नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी अब विक्रेता के

कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं बिक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई अन्य भागीदार है। अब फलस्वरूप विक्रेता ने उक्त आराजी उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अंश व हक के कुल और व सम्पूर्ण बिना किसी दबाव के मबलग मुबलिग रु0 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बेच कर दिया और कुल विक्रय धनराशि नकद [illegible] तथा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी मजकूर पर आज से कब्जा करा दिया। अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा निस्बत आराजी मजकूर व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई दावा पेश करे तो वह बिल्कुल नाजायज होंगे, और अगर आराजी मजकूर पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं बिक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जे-खर्चे व नुकसान के साथ विक्रेता व

वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से अदालत न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग, जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम मलौना, परगना-बिजनौर के अन्तर्गत क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 22,50,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.1215 हेक्टेयर की मालियत रु0 2,73,375/- होती है, जो कि बैनामा मूल्य से कम है। अतः

नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही अंकित स्टाम्प शुल्क 35,000/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

<u>विवरण भुगतान</u>

1. विक्रेता को रु0 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) बजरिये चेक संख्या- 854232 दिनांकित 11.07.2011, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रु0 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

लिहाजा यह बैनामा विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के

[illegible]

[illegible] 274,000.00 [illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011

पास में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट- पृष्ठ संख्या-10 पर बैंक संख्या काले पेन से लिखी गयी है।

दिनांक 11.07.2017

लखनऊ

गवाहान:-

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाइपकर्ता :

(राम सनेही)

मसौदाकर्ता

(मानवेन्द्र प्रताप सिंह)

एडवोकेट

[illegible]

[illegible] 12155   [illegible] 2011   [illegible]

[illegible]

295 - 322

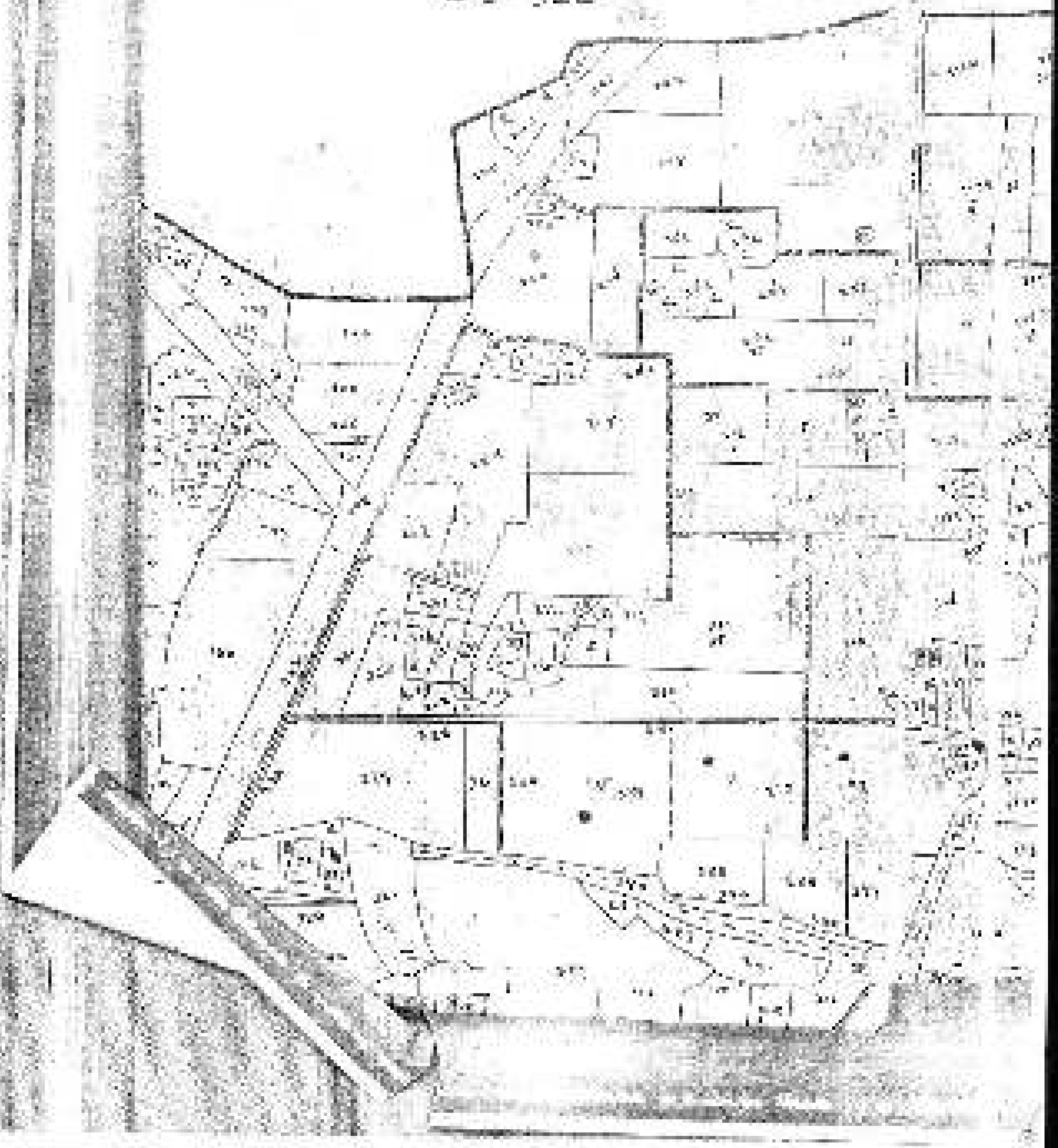

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता-श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible], निवासी-4/323, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा मुख्तार आम [illegible] कुमार पुत्र [illegible], निवासी-4/323, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

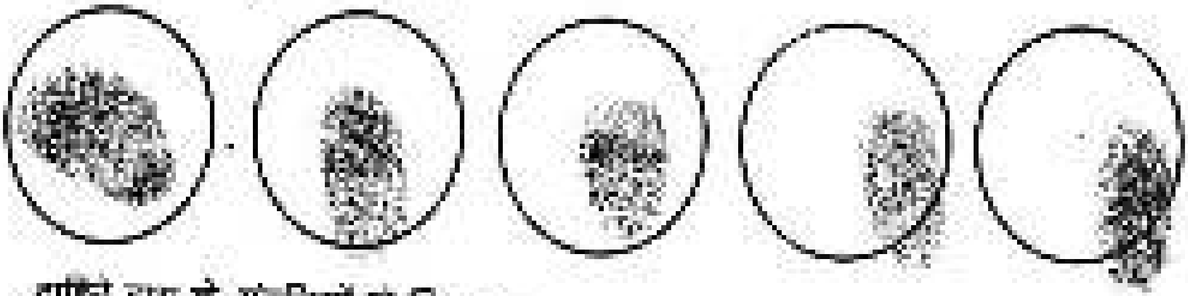

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

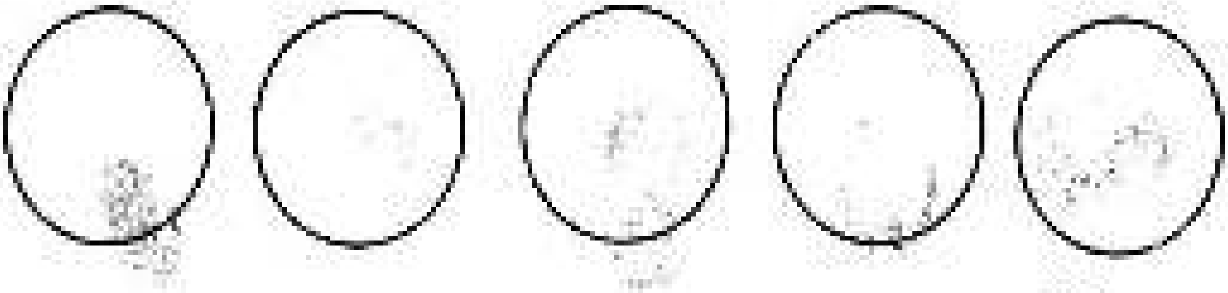

हस्ताक्षर विक्रेता

क्रेता का नाम व पता- [illegible] पुत्र [illegible], निवासी- [illegible] कालोनी, [illegible], जिला-[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

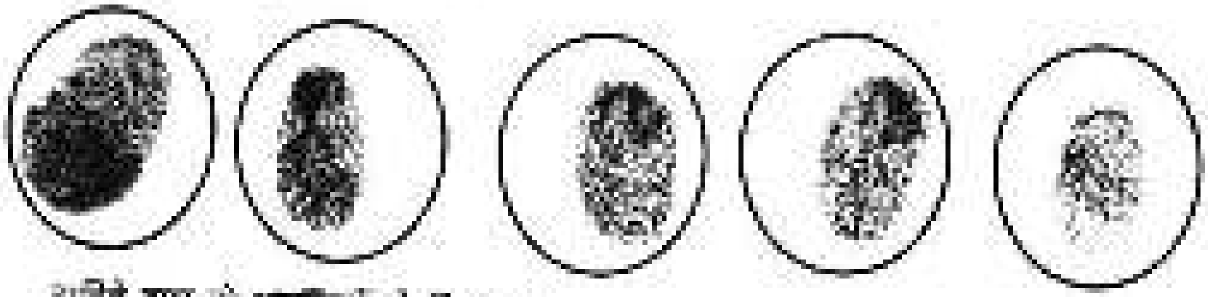

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

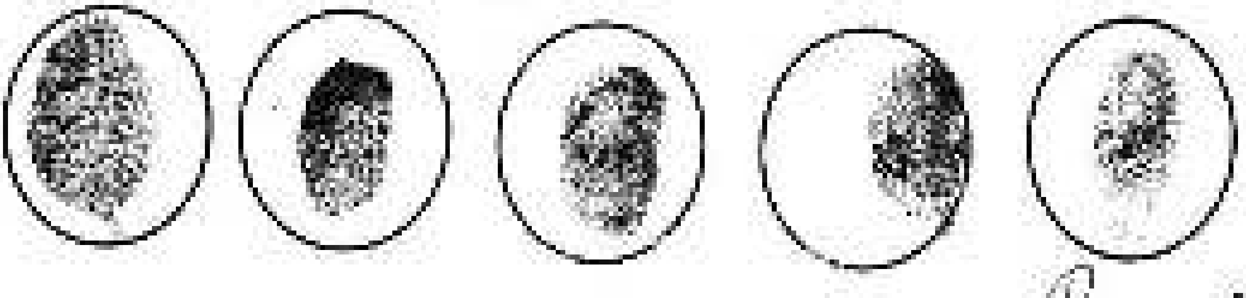

हस्ताक्षर क्रेता

आज दिनांक 11/07/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 12979

पृष्ठ सं. 111 से 136 पर क्रमांक 10155

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

11/07/2011